देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक–07.03.2017 को देवघर समाहरणालय के सभागार कक्ष में उपायुक्त, देवघर के अध्यक्षता में हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम–2013 के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम से अच्छादित करने हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति के साथ बैठक की गयी। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के प्रतिनिधि/ उपस्थित हुए जो निम्न प्रकार से है :–

1. उपायुक्त, देवघर–अध्यक्ष।
2. श्री नारायण दास, माननीय विधायक, देवघर विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि।
3. जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर।
4. विशेष भू अर्जन पदाधिकारी–सह–अतिरिक्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर।
5. अंचलाधिकारी, देवघर।
6. श्रीमती मुरली देवी, पति–कालीचरण राउत, ग्राम–कटिया।
7. श्री अरूण दास, साकिन–मंझियाना।
8. श्री दिनेश मिर्धा, साकिन–कुसुमडीह।
9. श्रीमती मीरा सिंह, सचिव, कृति संस्था, देवघर।

सर्व प्रथम भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–31(1), 38(1) और 105(3) के तहत् प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी को अच्छादित करने संबंधी जानकारी दी गयी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि 12 मौजों के कुल–529 विस्थापित परिवारों को देय प्रतिकर राशि प्रमंडलीय आयुक्त, दुमका द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। साथ ही विस्थापित परिवारों को देय प्रतिकर की राशि के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित **परिवहन खर्च–50000 एक मुस्त भुगतान– 500000, जीवन निर्वाह अनुदान–36000, एकबारगी पुनर्वासन भत्ता–50000, कुल–636000/– इसके अतिरिक्त जो पशुबाड़ा, छोटे व्यवसाय करते हो एवं भूमिहीन कृषक मजदूर की श्रेणी आते है उन्हें 32400/– देय है, जिसका भुगतान किया जाना है।**

सचिव, कृति संस्था, देवघर द्वारा बताया गया कि विस्थापितों को पुनवार्सित करने के लिए मकान के बदले कम–से–कम 10 लाख रुपये प्रति विस्थापित परिवार को भुगतान किया जाय, साथ ही विस्थापित समितियों के सदस्यों द्वारा बताया गया कि विस्थापित परिवारों को बहुमंजिला मकान न देकर एकल मकान दिया जाय, ताकि विस्थापित जो कि कृषक भी हैं कृषि एवं पशुपालन का कार्य आजिविका हेतु सुगमतापूर्वक कर सकें। साथ ही निर्मित मकान के बदले स्वयं मकान निर्माण हेतु मकान की लागत राशि के समतुल्य राशि का नकद भुगतान किया जाय।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–16.02.17 को हवाई अड्डा परिसर में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पर किये गये आम सभा के दौरान लिये गये निर्णय से समिति को अवगत कराया गया, जिसपर समिति में चर्चा की गयी एवं उस आमसभा की कार्यवाही से सभी सदस्य सहमत हुए अर्थात प्रति

विस्थापित परिवार 700 वर्गफीट भूमि व निर्मित मकान के बदले 400000.00(चार लाख) रूपये मकान निर्माण लागत राशि देने का निर्णय लिया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु सरकारी भूमि पर वर्षों से अपना मकान बनाकर वसो–वास कर रहे है, उक्त भूमि अधियाची विभाग, नागर विमानन विभाग, झारखण्ड, रांची को हस्तांतरित भी हो चुका है। वैसे व्यक्तियों को जो सरकारी भूमि पर अपना मकान बनाकर वर्षो से वसो–वास कर रहे है उन्हें उक्त भूमि पर कम से कम अवस्थित संरचनाओं का भुगतान किया जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष भू अर्जन पदाधिकारी–सह–अतिरिक्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर को निदेश दिया जाता है कि सरकारी भूमि जो अधियाची विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है एक सप्ताह के अंदर उस पर अवस्थित संरचनाओं का सर्वे करावें तत्पश्चात संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन की मांग कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर को निदेश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, देवघर से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब भू खण्ड संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

9/3/17

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति,
देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण।

ज्ञापांक–157 /भू अ०, देवघर, दिनांक 9 वीं, मार्च 2017 ई०।

प्रतिलिपि :– संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– संबंधित सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को जिले के वेबसाईट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, नागर विमानन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सरकार के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/17

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति,
देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण।